प्रेस विज्ञप्ति

06.08.2021

इस्पात मंत्रालय के " सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में सुरक्षा प्रबंधन और पद्धतियां" विषय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा)

श्री राकेश सिंह, संसद सदस्य तथा कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2020 -21) के सभापति ने आज, 6 अगस्त, 2021 को लोक सभा में इस्पात मंत्रालय के "सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में सुरक्षा प्रबंधन और पद्धतियां" विषय से संबंधित समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतिवेदन में निहित कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां/सिफारिशें निम्नवत हैं:-

<u>सरकार से लौह और इस्पात उद्योग के लिए सुरक्षा दिशा-निर्देश अनिवार्य करने को कहा।</u>	समिति ने नोट किया है कि इस्पात मंत्रालय ने इस्पात उद्योग से जुड़ी विशिष्ट गतिविधियों/खतरों से निपटने के लिए लौह और इस्पात क्षेत्र के लिए 25 सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार किए हैं। चूंकि, इस्पात मंत्रालय ने इन सुरक्षा दिशानिर्देशों को लौह और इस्पात उद्योग के लिए सुरक्षा मानकों के रूप में बनाने के लिए पहले ही यह मामला श्रम मंत्रालय के साथ उठाया है, समिति ने इन दिशानिर्देशों को अनिवार्य बनाने के लिए इस मामले को तत्परता से आगे बढ़ाने की इच्छा जताई है। (सिफारिश सं. 5-6)

सेल और आरआईएनएल के सभी कर्मचारियों के लिए व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम पर बल दिया गया	लौह और इस्पात उद्योग के कामकाज में शामिल परिचालन जोखिम को देखते हुए, समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों के सांस्कृतिक परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की है और इसलिए सिफारिश की है कि सेल और आरआईएनएल में आयोजित किए जा रहे व्यवहार आधारित सुरक्षा (बीबीएस) प्रशिक्षण कार्यक्रम और व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रबंधन (बीबीएसएम) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इस्पात संयंत्रों के सभी श्रमिकों तक विस्तारित किया जाना चाहिए और सुरक्षित कार्य वातावरण स्थापित करने के लिए उनकी आवृत्ति बढ़ाई जानी चाहिए। (सिफारिश सं. 11)
इस्पात संयंत्रों के संचालन में कर्मचारियों के बीच प्रौद्योगिकीय अनुशासन के अनुपालन पर बल दिया गया	समिति ने प्रोसेस इंटरलॉक और प्रौद्योगिकी उपकरणों, जिससे न केवल जोखिम स्तर में पर्याप्त कमी आई है बल्कि संयंत्रों में सुरक्षा मानक भी मजबूत हुए हैं और नई तकनीकों, जिन्होंने शॉप फ्लोर कार्य के माहौल में सुधार किया है और मैन्युअल हस्तक्षेप में कमी की है, हवा में उड़ते कणों के पर्यावरणीय उत्सर्जन में कमी की है, ऊष्मा विकिरण और विस्फोट के खतरों के जोखिम को कम किया है, के उपयोग की सराहना की है। इस्पात संयंत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के बीच प्रौद्योगिकीय अनुशासन की आवश्यकता को देखते हुए, जो लौह और इस्पात उद्योग के संचालन में प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ कई गुना बढ़ गया है, समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि इस्पात मंत्रालय/ सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रम यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को तैयार करें कि सभी कर्मचारी अपने कार्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करें। (सिफारिश सं. 13)
सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों से कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य जांच की अवधि बढ़ाने के लिए कहा	यह नोट करते हुए कि सेल संयंत्रों में खतरनाक क्षेत्रों में लगे कर्मचारियों की वर्ष में एक बार स्वास्थ्य जांच होती है और आरआईएनएल में, कर्मचारियों की स्वास्थ्य जांच 6 महीने से लेकर 5 वर्ष तक के बीच एक बार होती है, समिति ने यह इच्छा व्यक्त की है कि दोनों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्वास्थ्य जांच की आवधिकता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खतरनाक क्षेत्रों में तैनात सभी कर्मचारी ज्यादा बार अपनी स्वास्थ्य जांच करा सकें। (सिफारिश सं. 15)
मुआवजे के दावों का समय पर निपटान और कर्मचारियों के लिए मुआवजा पैकेज की समीक्षा पर जोर दिया गया	यह नोट करते हुए कि यदि कर्मचारी के पीड़ित परिवार को इसका उचित लाभ समय पर नहीं मिलता है तो मुआवजा नीति अपना उद्देश्य खो देगी, समिति ने सरकार से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि मुआवज़े के पैकेज की स्वीकृति से संबंधित मामलों को निपटाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि इनकी समय-समय

	पर समीक्षा की जाए। (सिफारिश सं. 16)
<u>सेल ठेका श्रमिक प्रबंधन प्रणाली की मंजूरी में तेजी लाए</u>	समिति ने पाया है कि ठेकेदारों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और उनकी दक्षता सुनिश्चित करने के लिए, सेल ने ठेका श्रमिक प्रबंधन प्रणाली के लिए एक प्रारूप तैयार किया है जिसके माध्यम से ठेकेदारों की समीक्षा की जाएगी और विभिन्न मापदंडों पर आधारित उनकी क्षमता के अनुसार स्टार रेटिंग दी जाएगी और इसलिए सिफारिश की है कि सेल को इस दिशा में अपने प्रयासों में तेजी लानी चाहिए। (सिफारिश सं. 17)